प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 22.02.2026

गाजियाबाद पुलिस का चार पहिया वाहन चोर गिरोह के विरुद्ध सशक्त अभियान

स्वाट टीम, अपराध शाखा व थाना मोदीनगर पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की संयुक्त कार्यवाही में बुलन्दशहर, हापुड, मेरठ, गाजियाबाद व दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र से चार पहिया वाहनों की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 02 शातिर सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 कार (स्कार्पियो एन व आई-20), वाहन चोरी करने मे प्रयुक्त ब्रेजा कार, फर्जी नम्बर प्लेट, वाहन चोरी करने मे प्रयुक्त इलैक्ट्रोनिक उपकरण बरामद।

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में चार पहिया वाहनों की चोरी करने वाले चोरों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) के कुशल पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त (अपराध) के कुशल नेतृत्व में दिनाँक-21/02/2026 को स्वाट टीम, अपराध शाखा व थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा बुलन्दशहर, हापुड, मेरठ, गाजियाबाद व दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र से चार पहिया वाहनों की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 02 शातिर सक्रिय सदस्य हरेन्द्र उर्फ हनी व अमित चौधरी को थाना मोदीनगर क्षेत्र से गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी है, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी फर्जी नम्बर प्लेट लगी हरे रंग की 01 स्कोर्पियों एन , सफेद रंग की 01 आई-20 कार, वाहन चोरी करने मे प्रयुक्त लाल रंग की ब्रेजा कार व चोरी करने में प्रयुक्त इलैक्ट्रोनिक उपकरण (ईसीएम, लॉक सेट, महेन्द्र कम्पनी की रिमोट वाली चाबी बरामद हुए। गिरफ्तार दोनो अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है जिनके विरूद्ध चार पहिया वाहनो की चोरी के सम्बन्ध मे उत्तर प्रदेश व दिल्ली राज्यों में 02 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है।

<u>पूछताछ का विवरण-</u> गिरफ्तार अभियुक्त हरेन्द्र उर्फ हनी ने पूछताछ पर बताया कि मूल रूप से मेरठ का निवासी है वर्तमान मे दिल्ली के खजूरी खास मे किराये के मकान में रहकर वाहन चोरो का गैंग बनाकर चार पहिया वाहनों की चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, गैंग का मुख्य सरगना है । वर्ष 2014 में थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद से रैड लाईट पर खडी गाडियों से मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम देने मे जेल चला गया था जिसमे इसने ठकठक गैंग के साथ मिलकर कई घटनाओं को अंजाम दिया था । जेल से आने के बाद गोल्डी सरदार सोतीगंज मेरठ के यहाँ 12 हजार रूपये प्रतिमाह पर चाह पहिया वाहन पर ड्राईवर का काम करने लगा । उसी दौरान हरेन्द्र उर्फ हनी की दोस्ती जीतू, उमरदराज व मेहराज मकबरा डिग्गी मेरठ से हुई और उनके साथ मिलकर चार पहिया वाहन चोरी की घटनाओं मे मेरठ के थाना परतापुर से जेल गये थे । वर्ष 2021 में कोतवाली देहात जनपद-बुलन्दशहर से अपने गैंग के सदस्यों के साथ जेल गया था तथा जेल से छूटने के बाद चार पहिया वाहनों की चोरी की घटनाओं मे एक के बाद एक जनपद गाजियाबाद व दिल्ली के कई थानों से जेल गये । वर्ष 2025 में जनपद-गाजियाबाद के थाना इन्दिरापुरम से फॉर्च्यूनर गाडी की चोरी मे जेल जाने के बाद जमानत पर बाहर आया हुआ था । जमानत पर आने के बाद जनपद-गाजियाबाद के थाना मोदीनगर क्षेत्र से स्कॉर्पियो एन कार की चोरी व दिल्ली के रोहिणी , सगरपुर , मॉडल टाऊन आदि जगहों से लगातार चार पहिया वाहनों की चोरी की घटनाओं को अपने अन्य साथियो के साथ अंजाम देना बताया । दोनो अभियुक्तों से बरामद गाडी स्कॉर्पियो एन को सगरपुर दिल्ली, आई-20 कार को मॉडल टाऊन दिल्ली से अपने गिरोह के सदस्यों के साथ चोरी करना तथा थाना मोदीनगर से चोरी की गयी स्कॉर्पियों एन गाडी को अपने मेरठ के साथियों द्वारा राजस्थान मे बेचना बताया है । जिसकी बरामदगी के प्रयास जारी है । वाहन चोरी की घटना कारित करने व वाहनो की चोरी करने हेतु रैकी करने में इनसे बरामद ब्रेजा कार का प्रयोग करते थे तथा बरामद ईसीएम व

लॉक को ऑनलाईन चेक करने पर महेन्द्रा थार रजिस्ट्रेशन नम्बर- HR 29BC 9682 का पाया गया जो मयूर विहार दिल्ली से चोरी महिन्द्रा थार गाडी के पाये गये तथा उक्त थार गाडी की चोरी की घटना को अपने साथियों के साथ अंजाम देना भी कबूल किया है।

गिरफ्तार अभियुक्त अमित चौधरी से पूछपाछ पर जानकारी हुई कि अमित चौधरी चोरी की गयी कारों को गिरोह के सदस्यों द्वारा बताये अनुसार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश व दिल्ली आदि राज्यों मे डिलीवरी करने का काम करता है। जिसके द्वारा पूछताछ पर अभी तक वर्ष 2020 से लगभग 40-50 चोरी की गाडियों को डिलीवरी करना बताया गया है।

पूछताछ पर गिरफ्तार दोनो अभियुक्त हरेन्द्र उर्फ हनी व अमित चौधरी ने यह भी बताया कि हमारा बुलन्दशहर, हापुड, मेरठ, पंजाब , हरियाणा व दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्रो से चार पहिया गाडी चोरी करने व उनकी खरीद फरोख्त करने का एक संगठित गिरोह है। हम लोग पकडे जाने से बचने के लिये चोरी किये गये चार पहिया वाहनो की नंबर प्लेट उतारकर फेक देते है तथा चोरी की गाडियों पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर रखते हैं। हमारे गिरोह के महताब उर्फ बच्चा व शमीम उर्फ पिल्ला स्वाट टीम, क्राईम ब्रान्च द्वारा चोरी की स्विफ्ट कार सहित दिनाँक- 18/02/26 को थाना सिहानीगेट गाजियाबाद से जेल भेजे जा चुके है। गिरोह के फरार अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी / बरामदगी के प्रयास किये जा रहे है। उक्त गिरोह में लगभग 10 से 12 सदस्य काम कर रहे है जिनके द्वारा टोयटा, हुण्डई, मारूति व महेन्द्रा ब्राण्ड की गाडियों को विशेष तौर पर चोरी कर घटना को अंजाम दिया जाता है। उक्त गिरोह के गिरफ्तार सदस्यों से पूछताछ पर यह भी पता चला है कि फॉर्च्यूनर कार को 04 लाख रूपये मे, स्कॉर्पियो का 03 लाख व हुण्डई व मारूति की कारों को 60-60 हजार रूपये मे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश व दिल्ली मे बेचते है। चोरी की गाडियों को बेचने से जो रूपये मिलते है उनको ये लोग आपस में बराबर-बराबर बाँट लेते है।

उक्त गिरोह के सदस्यों द्वारा विगत 10 वर्षो में 200 से 250 गाडियाँ चोरी करने की घटनाओं को अंजाम देना बताया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.हरेन्द्र उर्फ हन्नी गुर्जर पुत्र श्री कृष्णपाल निवासी E-275 गली 12, खजूरी खास थाना खजूरी दिल्ली मूल पता ग्राम किनोनी थाना रोहटा जनपद-मेरठ उम्र करीब 40 वर्ष

2.अमित चौधरी पुत्र राजबीर सिंह निवासी नरेन्द्र फौजी के मकान में किरायेदार ड्रीम सिटी थाना कंकरखेडा मेरठ, मूल पता ग्राम लावड थाना इन्चोली जनपद मेरठ उम्र 45 वर्ष

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण-

1.स्कार्पियो एन रंग हरा रजिस्ट्रेशन नम्बर-DL 10CZ 7347 (दिल्ली से चोरी)

2.आई-20 कार रंग सफेद रजिस्ट्रेशन नम्बर- HR 10Z 3009 (दिल्ली से चोरी)

3.ब्रेजा कार रंग लाल रजिस्ट्रेशन नम्बर-DL 6CR 0545 (वाहन चोरी करने मे प्रयुक्त)

4.फर्जी नम्बर प्लेट- 05

5.महेन्द्र गाडी का लॉक सेट- 01

6.महेन्द्रा गाडी का ईसीएम – 01

7.महेन्द्रा कम्पनी की रिमोट वाली चाबी- 01

8.फरार अभियुक्त फरदीन का आधार कार्ड- 01

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

1. हरेन्द्र उर्फ हन्नी गुर्जर पुत्र श्री कृष्णपाल निवासी उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0-510/2018 धारा 379,411 भादंवि थाना गाजीपुर, दिल्ली

2.मु0अ0सं0-4161/2015 धारा 379,411 भादंवि थाना रोहिणी, दिल्ली

3.मु0अ0सं0-26294/2022 धारा 379,411 भादंवि थाना मॉडल टाउन, दिल्ली

4.मु0अ0सं0-105/2019 धारा 392,34 भादंवि थाना साकेत, दिल्ली

5.मु0अ0सं0-016500/2022 धारा 379,411,482,34 भादंवि थाना सफदरगंज एंक्लेव, दिल्ली

6.मु0अ0सं0-25894/2024 धारा 305 बी0एन0एस0 थाना अमर कॉलोनी, दिल्ली

7.मु0अ0सं0-005921/2025 धारा 305 बी0एन0एस0 थाना प्रीत विहार, दिल्ली

8.मु0अ0सं0-99/2025 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना गाजीपुर दिल्ली,

9.मु0अ0सं0-5887/2025 धारा 305(बी) बी0एन0एस0 थाना मॉडल टाउन दिल्ली

10.मु0अ0सं0-04877/2025 धारा 305(बी) बी0एन0एस0 थाना जहांगीर पुरी, दिल्ली

11.मु0अ0सं0-005878/2025 धारा 305(बी) बी0एन0एस0 थाना अशोक विहार, दिल्ली

12.मु0अ0सं0-26729/2024 धारा 305(बी)/317(2)/345(3)/211 बी0एन0एस0 थाना पंजाबी बाग दिल्ली

13.मु0अ0सं0-173/2021 धारा 379,411 भादंवि थाना कोतवाली देहात, बुलन्दशहर

14.मु0अ0सं0-1383/2020 धारा 379,411 भादंवि थाना कविनगर गाजियाबाद

15.मु0अ0सं0-78/2022 धारा 414 भादंवि थाना सिहानीगेट, गाजियाबाद

16.मु0अ0सं0-79/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिहानीगेट, गाजियाबाद

17.मु0अ0सं0-63/2026 धारा 317(2)/317(4)/317(5)/345(3)/3(5) बी0एन0एस0 थाना सिहानीगेट गाजियाबाद

18.मु0अ0सं0-939/2025 धारा 317(2)/317(5) बी0एन0एस0 थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद

19.मु0अ0सं0-302/2015 धारा 414,411 भादंवि थाना ब्रहमपुरी मेरठ

20.मु0अ0सं0-685/2020 धारा 420,482,414,411 भादंवि थाना ब्रहमपुरी मेरठ

21.मु0अ0सं0-684/2015 धारा 147,148,149,307 भादंवि थाना ब्रहमपुरी मेरठ

22.मु0अ0सं0-73/2021 धारा 379,411 भादंवि थाना हापुड़ नगर, हापुड़

23.मु0अ0सं0-194/2021 धारा 420,482,414,34 भादंवि थाना हापुड़ नगर, हापुड़

24.मु0अ0सं0-000756/2026 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना सगररपुर दिल्ली

25.मु0अ0सं0 40/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना मोदीनगर, गाजियाबाद

26.मु0अ0सं0-003267/2026 धारा 303(2) बी0एन0एस0 मॉडल टाउन दिल्ली

` 27.मु0अ0स0-80/26 धारा-112(2)/317(2)/317(4)/317(5)/345(3)/3(5) बीएनएस थाना मोदीनगर गाजियाबाद

2. अमित चौधरी पुत्र राजबीर सिंह निवासी उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 40/26 धारा-303(2) बीएनएस थाना मोदीनगर गाजियाबाद

` 2.मु0अ0स0-80/26 धारा-112(2)/317(2)/317(4)/317(5)/345(3)/3(5) बीएनएस थाना मोदीनगर गाजियाबाद

3.मु0अ0सं0-000756/2026 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना सगरपुर दिल्ली

4.मु0अ0सं0-003267/2026 धारा 303(2) बी0एन0एस0 मॉडल टाउन दिल्ली

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1.स्वाट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

2.थाना मोदीनगर, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से बिना अनुमति के बज रहा डीजे मय वाहन के बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 21.02.2026 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त इमरान पुत्र गुलफाम निवासी कस्बा किठौर थाना किठौर जनपद मेरठ उम्र करीब 28 वर्ष को मास्टर फार्म हाउस के पास सर्विस रोड़ से गिरफ्तार कर बिना अनुमति के बज रहा डीजे मय वाहन को जब्त कर सीज किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 292 बीएनएस व 5/6 ध्वनि प्रदूषण के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त उपरोक्त शादियों/ पार्टियों की बुकिंग के हिसाब से डीजे की सुविधायें उपलब्ध कराता है तथा ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए बिना परमीशन डीजे बजाता है। इसीक्रम में अभियुक्त मास्टर फार्म हाउस के पास सर्विस रोड़ पर डीजे बजा रहा था कि पुलिस ने चैकिंग के दौरान पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

इमरान पुत्र गुलफाम निवासी कस्बा किठौर थाना किठौर जनपद मेरठ उम्र करीब 28 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना टीलामोड़ पर ध्वनि प्रदूषण का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:–

- बिना अनुमति के बज रहा डीजे मय वाहन के बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

साइबर सेल थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 94,000/- रुपये की धनराशि वापस कराई गई।

दिनांक 24.06.2025 को साइबर सेल थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम को वादी श्री मनोज प्रसाद निवासी ग्राम भोवापुर थाना कौशाम्बी के पेटीएम साउंड बॉक्स रीचार्ज करने के लिए ऑनलाइन फेक कस्टमर केयर नंबर से कॉल कर साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल धनराशि 1,70,000/- रुपये के सम्बन्ध में एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई। उक्त शिकायत में साइबर सेल थाना कौशाम्बी पुलिस टीम के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए को वादी की साइबर फ्रॉड में ठगी गई धनराशि में से 94,000/- रुपये वापस कराई गई।

कार्यवाही का विवरण:-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद को वादी श्री मनोज प्रसाद निवासी ग्राम भोवापुर थाना कौशाम्बी गाजियाबाद को फेक कस्टमर केयर नंबर से कॉल कर 1,70,000/- रुपये धोखाधड़ी से साइबर फ्रॉड कर ट्रांसफर कराने के सम्बन्ध में एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से थाना कौशाम्बी पर दिनांक 19.07.2025 को धारा 318(2) बी0एन0एस0 व 66-डी आई0टी0 एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया था । उपरोक्त घटनाक्रम में साइबर सेल थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए वादी के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद आज दिनांक 22.02.2026 को शिकायत कर्ता के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि को वापस कराया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम:-

साइबर सेल थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 17.02.2026 को थाना खोडा पर वादी ने अपनी बेटी के ससुरालीजनों द्वारा वादी की बेटी को फांसी का फन्दा लगाकर हत्या करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया। जिसके सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा धारा 85, 80(2) बीएनएस व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटनाक्रम में आज दिनांक 22.02.2026 को थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट व सर्विलांस की सहायता से चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर दहेज हत्या के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त विपिन उर्फ गुडवा पुत्र महेश केवट निवासी ग्राम चसुआ बकरा थाना पावी पुरी जनपद नालन्दा बिहार उम्र करीब 25 वर्ष को इन्दिरापुरम अण्डरपास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 80(2), 85 बीएनएस व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मेरी शादी वादी की पुत्री से करीब ढाई वर्ष पहले हुई थी। शादी से कुछ समय बाद तक तो सबकुछ सही चल रहा था परन्तु कुछ दिनों से रोजाना घर पर छोटी छोटी बातों को लेकर कलेश होता था। घर में पैसों की तंगी थी तो मैं उससे अपने मायके से पैसे लाने के लिए भी कहता था परन्तु वह पैसे लाने से मना कर देती थी। दिनांक 15.02.2026 की रात्रि को भी किसी बात को लेकर हम दोनों में झगड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने आवेश में आकर यह घटना कारित की।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

विपिन उर्फ गुडवा पुत्र महेश केवट निवासी ग्राम चसुआ बकरा थाना पावी पुरी जनपद नालन्दा बिहार उम्र करीब 25 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त विपिन उर्फ गुडवा के विरुद्ध थाना खोडा पर दहेज हत्या के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना खोडा पुलिस टीम।